

gaindakhali

उप विभागीय स्तर की पूर्णतः स्वतंत्र समिति (संख्या-923/विभागीय/2020-21 दिनांक 27.01.2020 एवं पत्र संख्या-47/संख्या-यूनि आदेश-संख्या-2020-21 दिनांक 23 जनवरी 2020) द्वारा गठित। हल्द्वानी घन प्रयोग हल्द्वानी के घनोत्खान-1474/12-1 दिनांक 23/12/2020 द्वारा प्रस्तुत आदेशों के अन्तर्गत पर Management, the State powered Committee of Uttarakhand State Disaster Management Authority (USDMA) meeting held on 27.01.2020 के सन्दर्भ संख्या-150/1474/PMU/DP/2020/06 के तब 04 सितम्बर 2019 के अनुक्रम में, वन्दे मैक लोकायुक्ति संख्या-7/घन संख्या-245/घन-यू संख्या-2020-21 दिनांक 15 अक्टूबर 2020 एवं पत्र संख्या-157/घन-विभागीय/संख्या-2020-21 दिनांक 31 दिसम्बर 2020 के अनुक्रम में, शासनादेश संख्या-111/XXVII (759/39)-2013/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 में निम्न समितियों का प्रयोग करते हुए, याचक विभाग की सहयोग/अनुमति के आधार पर, शासनादेश संख्या-269/110 संख्या-2/2022 दिनांक 15.02.2022 में निर्दिष्ट निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन भागीदार संस्थाओं को-1 की संख्या-10-11 दिनांक 08/03/2022 संख्या-80, संख्या 57060 से मायो 0004 से एवं खाना संख्या-12, अन्य कंटर के खेत संख्या 43, संख्या 0553 से एवं 0553 से कुल रकमा 0007 से। तथा साम गण्डावाली नं-3 की खाना संख्या-64 संख्या के खेत संख्या-01, संख्या 1379 से कुल 0002 से। इस प्रकार कुल रकमा 0009 से। यूनि गण-संख्या-7/घन संख्या-2020-21 एवं गण्डावाली नं-3 की खाना संख्या-64 के अन्तर्गत कुल रकमा 0009 से। निम्न हेतु अधिशासी अविन्यास, वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग, प्रशासन के नाम निम्न-क न्यायलय/प्रशासन के अन्तर्गत प्रदान की जाती है-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्ता की इमारत नहीं है।
- 2- जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित प्रयोजन है और उसके लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से निम्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये, तो उसके विधे मर विनियमन के अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता नहीं है या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह मूल विभाग में स्वतः लौटि चिह्नित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे निम्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, समूह, संस्थान, अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि अर्जित की जा रही है, उसकी भूमि का उपयोग यदि भूमि अधिग्रहण किये जा रही है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रत्येक भूमि पर एक संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन मर प्राधिकारी के अनुमति होगा, जब तक अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रत्येक भूमि अधिग्रहण के पूर्व लगीदारी विभाग एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 तथा U.P. Tenancy Act 1909 (1907) का अन्तर्गत अधिनियम, 1939) की धारा-30 एवं इसके सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एचएलओपी) / (सी), संख्या-3109/2011 श्री रामदास सिंह एवं अन्य बनाम प्रजापत राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011/SLP(C) NO.20203/2007, जयराज शर्मा एवं अन्य बनाम प्राचुर जगदश भक्त एवं अन्य में मर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फास्ट ट्रेस आदेश दिनांक जनवरी, 2011 को निम्नलिखित आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- अधिग्रहण की अर्जा परमाप्त होने अथवा उपरोक्त प्रस्तावित भूमि संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उत्पत्ति होने की स्थिति में प्रत्येक भूमि निर्माण संबंधित राज्य विभाग में चिह्नित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिफल देव नहीं होगा।

उप जिलाधिकारी श्री पूर्णसिंह (एनकायू) अधिकृत भूमि को अधिग्राही अधिग्रहण कर के, लाल सिमल चक-
बन्दावा का मकान नि गृहक मान्यताकरण एवं कर्तमानाकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

80/-
(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
जिलाधिकारी, चम्पावल

कार्यालय जिलाधिकारी धर्मदास ।

सं. २६६ / VII-A.I.R.O./सि०मि०उ०/World Bank, PWD/डनकुम्/2020-21, दिनांक 15 फरवरी, 2021

- प्रतिलिपि, निम्नलिखितों को सूचनाई एवं अवरोधक कार्य जारी हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 2- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- आयुक्त, मुन्नाड़ी पंचायत, मनीताल।
 - 5- अपर जिलाधिकारी / मुख्य अधिकारी, चमोली।
 - 6- उप जिलाधिकारी श्री सुभाषिणी (देहरादूर)।
 - 7- अधिकांश अभियन्ता कार्य रोक, जहाँ नियोजन किया गया है।
 - 8- तहसीलदार श्री सुभाषिणी (देहरादूर) तथा पञ्चायती इस दिशा में राज्य प्रेषित कि, नृपराज स्वीकृत नूनि का नाम विभाग के नाम नियमानुसार गैर-अभिलेखी में निशुल्क अंगणारण एवं होमगर्नरण जो वास्तव में सुभाषिणी वकी)
- R/O
उत्तराखण्ड
सचिव की
को मुख्यालय

अपर, दिनादिप्रति